दिनांक 15.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

उड़नदस्ता की टीम ने केम्प-01 क्षेत्र के एक घर में बना रहे बर्फ फैक्ट्री पर कार्यवाही करते हुए कराया बंद

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने उड़नदस्ता की टीम का गठन किया है जो कि लगातार ऐसे लोगों के विरुद्ध जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तथा प्रतिबंधित पालिथीन , झिल्ली, पन्नी, डिस्पोजल, विक्रय तिथि के समाप्त हो जाने के बाद भी विक्रय के लिए रखे गये खाद्य एवं पेय पदार्थ पर कार्यवाही कर रही है। निगम की उड़नदस्ता की टीम ने आज केम्प क्षेत्र के विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया जिसमें एक अवैध बर्फ फैक्ट्री को बंद करवाया गया। निगम की उड़नदस्ता टीम ने केम्प क्षेत्र के विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया जिसमें एक घर में अवैध रुप से संचालित बर्फ फैक्ट्री को बंद करवाया साथ ही 11 दुकानों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 12500 रुपये अर्थदण्ड वसूले जिसमें से एक नागरिक ने यह शिकायत की थी कि केम्प क्षेत्र के एप्रोच रोड की गली में सुभाष काले नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रुप से व्यवसायिक कार्य संपादित किया जा रहा है। उड़नदस्ता टीम के निरीक्षण के दौरान शिकायत सहीं पाये जाने पर व्यवसायकर्ता के विरुद्ध अर्थदण्ड वसूली के साथ व्यवसाय को बंद कराया गया। इसके पश्चात् उड़नदस्ता की टीम निरीक्षण करते हुए जलेबी चौक पहुंची जहां पर करुणा भोला नामक व्यक्ति द्वारा अपने मकान में बिना अनुमति के अवैध रुप से बर्फ बनाने का कार्य किया जा रहा था जो सीधे बोर से पानी को बिना शुद्ध किये बर्फ के रुप में परिवर्तित कर रहा था स्वास्थ्य मापदण्डो के आधार पर पानी को फिल्टर करना आवश्यक है। जांच टीम द्वारा मकान में बर्फ फैक्ट्री संचालित किये जाने का अनुमति पत्र मांगे जाने पर वहां उपस्थित लोगों ने कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी , जिस पर टीम ने फैक्ट्री को बंद करवाकर समझाइश दी।

आगे निरीक्षण करते हुए टीम द्वारा राजेश सीमेंट , हीरा एण्डसंस, गौरवनाथ, सांई मोबाईल, प्रभाश गैस वेल्डिंग , अनुपम वस्त्रालय, राजेश वस्त्र भण्डार, पाटनी टेक्स टाईल्स, अमित श्रृंगार, साहू सायकल स्टोर्स, प्रमोद लकड़ी टाल आदि से 12500 रुपये अर्थदण्ड वसूले।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''